


FORM NO. III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

नाम अदालत जिला कलक्टर अलवर मुकाम अलवर
उनवान अशोक बनाम सरकार
किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी आर बी एक्ट
प्रा०पत्र नम्बर 15/194/2023 दायर दिनांक 11.08.2023

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.09.2023	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में वाहन पिकअप रजिस्ट्रेशन नम्बर आर.जे. 29 जी.ए. 3478 को सुपुर्दगी पर दिये जाने बाबत थानाधिकारी बडौदामेव, जिला अलवर से अभिशंषा/टिप्पणी ली गयी। मुकामी थानाधिकारी द्वारा पत्रांक 1499 दिनांक 18.09.2023 को रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया कि प्रकरण में जप्तशुदा वाहन से अनुसंधान हो चुका है, वाहन छोड़ दिया जाये तो कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस थाना की अभिशंषा के आधार पर जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दनामे पर दिये जाने हेतु प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। यदि प्रार्थी 5,00,000/- (शब्देन पांच लाख रुपये मात्र) का सुपुर्दनामा एवं इसी कदर तस्दीकशुदा जमानतनामा पेश करे तथा जप्तशुदा वाहन यदि किसी अन्य प्रकरण में वांछित ना हो तो प्रार्थी को उक्त वाहन सुपुर्दनामे पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी सुपुर्दनामे पर दिये गये वाहन को खुर्द-बुर्द नहीं करेगा, जब भी उक्त वाहन की न्यायालय हाजा अथवा अन्य न्यायालय को आवश्यकता होगी तो वाहन को प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित राशि के जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करने हेतु पत्रावली दिनांक 26.09.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> जिला कलक्टर अलवर</p>	

26/09/23

पुस्तकालय प्रमुख श्री वकील जलकर
ने निदेशित राशि में सुपुत्रदेवता व
पुस्तकालय प्रमुख श्री, जो पुस्तकालय की
श्री पुस्तकालय किताबें (संदर्भित S.H.O.
में बिल सुपुत्रदेवता व पुस्तकालय प्रमुख
श्री पुस्तकालय प्रमुख पुस्तकालय प्रमुख
का बिल प्रमुख प्रमुख है।


जिला कलेक्टर
जलकर (राज.)